

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वी-746/88)/अलेसे-II/

दिनांक :- 09/09/2014

कार्यालय आदेश

श्री विशनदास सिंधी, लेखाकार (मेरिट नं 746/88) कार्यालय कोषाधिकारी, अजमेर ने नाम परिवर्तन की सूचना राजस्थान राज पत्र दिनांक 05.06.2014 के भाग संख्या 07 में प्रकाशित होने तथा बंध पत्र की सूचना का दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर के दिनांक 01.06.2014 के अंक में प्रकाशित होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 08 के निर्णय 5 के अनुसरण में उनका नाम "विशनदास सिंधी" के स्थान पर "विशनदास हंसराजानी" किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भविष्य में "श्री विशनदास सिंधी" के स्थान पर "श्री विशनदास हंसराजानी" के नाम से जाना जावेगा।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वी-746/88)/अलेसे-II/6618-24 दिनांक :- 09/09/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कोषाधिकारी, अजमेर।
2. श्री विशनदास हंसराजानी, लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, अजमेर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक, ए.सी.पी. हाजा।
5. पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(के0 एम0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)